**संख्या-1015(1)/77-6-20-एल.सी. 04/2018 टी.सी.**

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उ0प्र0 शासन।

**औद्योगिक विकास अनुभाग-6** **लखनऊ : दिनांक 12 मई, 2020**

विषयः उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लाजिस्टिक्स नीति 2018 के अन्तर्गत वेयरहाउसिंग तथा लाजिस्टिक्स इकाईयों एवं पार्क को उद्योग का दर्जा दिए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिसूचना संख्या-649/77-6-18-एल0सी0 4/18 दिनांक 27 फरवरी, 2018 द्वारा मा0 मंत्रि परिषद के अनुमोदन से प्रख्यापित उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लाजिस्टिक्स नीति 2018 का प्रस्तर 4.2 निम्नवत् हैः-

4.2 लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को उद्योग के रूप में मान्यता- भारत सरकार द्वारा 'इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेटस' हेतु निर्दिष्ट शर्तो को पूर्ण करने वाली वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स इकाइयों को प्रदेश में 'उद्योग' का दर्जा भी प्रदान किया जाए यद्यपि वेयरहाउसिंग के लिए भूमि आवंटन हेतु विकास प्राधिकरणों द्वारा पात्रता शर्तें एवं दर निर्धारित की जाएंगी। विकास प्राधिकरणों द्वारा वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स इकाइयों हेतु 60 प्रतिशत तक की ग्राउण्ड कवरेज की अनुमति भी दी जाएगी।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन विकास प्राधिकरणों के जोनिंग रेगुलेशनों तथा अन्य संगत नियमों में इस आशय के संशोधन हेतु समस्त विकास प्राधिकरणों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि औद्योगिक भू-उपयोग में वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स अनुमन्य गतिविधि होंगें।

3- तद्नुसार वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स पार्कस तथा इकाइयों हेतु भू-उपयोग परिर्वतन के प्रकरणों में औद्योगिक भू-उपयोग के अनुसार ही भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क लागू किया जाना समीचीन होगा।

अतः कृपया तद्नुसार आवास विभाग के अन्तर्गत प्राधिकरणों में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित कराते हुए औद्योगिक विकास विभाग को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

**(आलोक कुमार)**
प्रमुख सचिव।

**संख्या–1015(3)/77–6–20–एल.सी. 04/2018 टी.सी.तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
2. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. औद्योगिक विकास अनुभाग–4।

आज्ञा से,

(सुजाता शर्मा)
विशेष सचिव।